भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-221

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

विद्यालयों का बंद/विलय किया जाना

†221. **श्री हैबी ईडन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020-21 से विद्यालयों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने संबंधी नीति के भाग के रूप में बंद किए गए या विलय किए गए विद्यालयों की वर्ष-वार और राज्य-वार सूची क्या है;
(ख) वर्ष 2019-20 से भारत में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है; और
(ग) क्या सरकार ने विगत में विद्यालयों के बंद होने अथवा विलय के प्रभाव का कोई मूल्यांकन कराया है अथवा कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाईज़+) विकसित की है। यूडाईज़+ के अनुसार, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए पंजीकृत सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) यूडाईज़+ के अनुसार, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी गैर-सहायता प्राप्त और अन्य प्रबंधन द्वारा प्रबंधित विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	सरकारी विद्यालय	सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय	निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय	अन्य विद्यालय
2019-20	1032570	84362	337499	53277
2020-21	1032049	84295	340753	52039
2021-22	1022386	82480	335844	48405

(ग) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना और उन्हें सुव्यवस्थित बनाना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बच्चों को निर्धारित क्षेत्र या पड़ोस की सीमा के भीतर प्राथमिक विद्यालयों तक सुगमता प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में, सभी राज्यों ने अपने पड़ोस के मानदंडों के क्षेत्र अथवा सीमाएँ अधिसूचित की हैं। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 में यह भी अनिवार्य किया गया है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगी और पड़ोस के स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

******

अनुलग्नक – I

माननीय संसद सदस्य श्री हैबी ईडन द्वारा 'विद्यालयों का बंद/विलय किया जाना' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 221 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए पंजीकृत सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22
भारत	1032049	1022386
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	342	342
आंध्र प्रदेश	45145	45137
अरुणाचल प्रदेश	3061	2985
असम	46749	45490
बिहार	75555	75558
चंडीगढ़	121	123
छत्तीसगढ	48619	48743
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	407	388
दिल्ली	2751	2762
गोवा	821	814
गुजरात	34967	34699
हरियाणा	14563	14562
हिमाचल प्रदेश	15391	15380
जम्मू और कश्मीर	23167	23173
झारखंड	35888	35840
कर्नाटक	49791	49679
केरल	5020	5010
लद्दाख	915	838
लक्षद्वीप	45	38
मध्य प्रदेश	99152	92695
महाराष्ट्र	65734	65639
मणिपुर	2878	2889
मेघालय	7795	7783
मिजोरम	2558	2563
नागालैंड	1975	1960
ओडिशा	50256	49072
पुडुचेरी	422	422
पंजाब	19330	19259
राजस्थान	68813	68948
सिक्किम	851	864
तमिलनाडु	37589	37636
तेलंगाना	30015	30023
त्रिपुरा	4265	4262
उत्तर प्रदेश	137068	137024
उत्तराखंड	16651	16484
पश्चिम बंगाल	83379	83302